न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-171RAABarmer2025-91RTA223 Karanaram ors Vs Kewalram etc

01. करनाराम पुत्र सरदाराराम
02. डाउराम पुत्र देदाराम
03. बरजांगाराम पुत्र देदाराम
04. भगाराम पुत्र देदाराम
05. मंगलाराम पुत्र दीपाराम
06. पेमाराम पुत्र तगाराम
07. फूसाराम पुत्र तगाराम
08. मुल्तानाराम पुत्र तगाराम
09. सुखराम पुत्र तगाराम
10. मानाराम पुत्र तगाराम
11. रेखाराम पुत्र सरदाराराम,

जाति मेगवाल निवासी सखरोड़ा, चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. केवलाराम पुत्र जीयाराम
2. लूणाराम पुत्र भलाराम

   जाति मेघवाल निवासी सखरोड़ा, चोखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
3. तहसीलदार बाटाडू।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 मार्च 2025 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर राजस्व मूल वाद संख्या 48/2024 केवलाराम बनाम करनाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री रतनलाल सोनी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री रिणछाराम सियाग, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 03 जून 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/2024 अनवान केवलाराम बनाम करनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 मार्च 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 मई 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम सखरोड़ा तहसील बाटाडू के खेत खसरा संख्या 76 रकबा 17.8951 हैक्टेयर के संबंध मे वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में विभाजन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 मार्च 2025 के जरिये वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृतक व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 12 सारों पत्नी देदाराम व प्रतिवादी संख्या 13 हरूमी पत्नी तगाराम के खिलाफ पारित किया गया है। दोनों प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की मृत्यु क्रमशः दिनांक 22.08.2016 व दिनांक 26.01.2020 को अर्थात वाद पेश करने की तारीख 21.9.2021 से पहले ही हो चुकी थी। वादी/रेस्पोडेट द्वारा मृत व्यक्तियो के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के मृत पक्षकारो के खिलाफ प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निर्णय Nullity, अस्तित्वहीन, शून्य व Ab-Initio-Void (शून्य) है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की तलबी व सम्मन तामिल बाबत भी कोई रिपोर्ट नहीं ली है। यह भी उल्लेखनीय है कि वाद के विचाराधीन रहते भी वादीगण द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के मरने की सूचना आदेश–22 नियम–4 सी पी सी के तहत भी समयावधि 90 दिन के भीतर नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री मृत पक्षकारान् के विरूद्ध पारित की गई होने तथा विधिक तौर पर शून्य होने से निरस्त करने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 06 मार्च 2025 को अपास्त किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2009 डी.एन.जे. (एस.सी.) 244 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान् के मध्य वर्ष 2002 में खातेदारी घोषणा का वाद डिक्री किया गया, जिसमें पक्षकारान् के हिस्से तय किये जा चुके है। वर्तमान में विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज वर्तमान हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट्स की ओर से इस संबंध में विचारण न्यायालय में किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मृत पक्षकारान् के वारिसान् पूर्व से ही रेकर्ड पर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम सखरोड़ा तहसील बाटाडू के खेत खसरा संख्या 76 रकबा 17.8951 हैक्टेयर में वादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 का पालना एवं माननीय राजस्व मण्डल नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार बंटवाड़ा किये जाने के पारित पारित किये गये है। अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत पक्षकारान् के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा मृत पक्षकारान् के वारिसान् का जिक्र नहीं किया गया है, वही रेस्पो. का कथन है कि मृत पक्षकारान् के वारिसान् पूर्व से ही रेकर्ड पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से किसी भी पक्षकार के हितों पर प्रथमदृष्टया विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। लिहाजा गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/2024 अनवान केवलाराम बनाम करनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06 मार्च 2025 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है वह उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर